

युक्तियुक्तकरण में मनमानी पर हाई कोर्ट की फटकार, शिक्षिका को मिला न्याय

नईदुनिया प्रतिनिधि, विलासपुर: शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में की गई मनमानी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची शिक्षिका को न्याय मिल गया है। कोरबा जिले के पाली ब्लाक स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रतिजा में पदस्थ शिक्षिका फाल्गुनी यादव ने शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीईओ को जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई और जिला स्तरीय समिति के समक्ष शिक्षिका को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश दिए।

जबरन दबाव में ली सहमति

फाल्गुनी यादव ने कलेक्टर को सौंपे गए अभ्यावेदन में लिखा कि काउंसिलिंग के दौरान उन पर दबाव बनाकर शा.पू.मा.शाला मदनपुर को चुनने के लिए मजबूर किया गया। पारिवारिक कारणों, विशेष रूप से बुजुर्ग सास की देखभाल के चलते दूरस्थ क्षेत्र में जाना उनके लिए कठिन था।

कैसे हुआ खुलासा

फाल्गुनी यादव ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि बीईओ ने युक्तियुक्तकरण में जानबूझकर उन्हें अतिशेष घोषित कर दिया, जबकि उनसे पांच वर्ष जूनियर शिक्षिका महिमा तिकी को सूची से हटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि उन्हें उस विषय में अतिशेष घोषित किया गया, जिसे वे पढ़ाती ही नहीं। कला विषय की शिक्षिका फाल्गुनी को हिंदी विषय के नाम पर सूची में डाल दिया गया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीईओ का आदेश रद्द

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 19 जून को शिक्षिका को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया। समिति ने प्रस्तुत अभ्यावेदन और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद पाया कि फाल्गुनी यादव वर्ष 2013 से कार्यरत हैं, जबकि महिमा तिकी 2017 में नियुक्त हुई हैं। वरिष्ठता के आधार पर फाल्गुनी को अतिशेष घोषित करना गलत था। इसके

दूरस्थ स्कूलों को सूची में रखा

शिक्षिका ने यह भी आरोप लगाया कि काउंसिलिंग के दौरान अधिकारियों ने जानबूझकर दूरस्थ और शिक्षकविहीन स्कूलों को ही सूची में रखा। जबकि आसपास के स्कूलों में रिक्त पद होने के बावजूद उन्हें छिपा लिया गया। इससे साफ है कि बाद में पास के स्कूलों में पसंदीदा पदस्थापना की योजना बनाई गई थी।

बाद कलेक्टर के आदेश पर डीईओ द्वारा जारी पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया गया और महिमा तिकी को अतिशेष मानते हुए युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इस प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में कई जगहों पर पारदर्शिता का अभाव है। प्रदेशभर में ऐसे 750 से अधिक शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।